[24/12/2021] 12

कार्यालय कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

प्रविष्टि सं. [क. 1050]

रीवा दिनांक 08 /07/2020

//आदेश//

क्रमांक/ 60 /लो.से.प्र. /2020 :: मध्यप्रदेश लोक सेवा के प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के तहत 28 विभागों की 313 सेवाएं ऑनलाइन पदाभिहित अधिकारियो द्वारा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। लोक सेवा केन्द्रो के क्रियान्वयन तथा प्राप्त होने वाले आवेदनों की समीक्षा में यह तथ्य सामने आया है कि जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित /आनलाइन सेवाओं के आवेदन पत्र संबंधी विभागीय कार्यालय द्वारा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से न लेकर आफलाईन स्वीकार किये जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियो द्वारा सीधे अपने कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के कारण ऑनलाईन मानीटरिंग नहीं हो पा रही है एवं कम आवेदन दर्ज होने के कारण शासन द्वारा लोक सेवा केन्द्र संचालकों को व्ही. जी. एफ. राशि का भुगतान करना पड़ रहा है।

अतः समस्त पदाभिहित-अधिकारियो / अपीलीय अधिकारी / विभाग प्रमुखो को निर्देशित किया जाता है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित ऐसी सेवाएं जो कि पोर्टल mpedistrict.gov.in पर ऑनलाइन (सूची संलग्न) है, उन्हे अपने कर्यालय में आवेदक से सीधे आवेदन प्राप्त न करके शतप्रतिशत आवेदनों को लोक सेवा केन्द्रों / एमपीऑनलाइन /सीएससी अथवा आवेदक द्वारा स्वयं ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराकर समय सीमा में निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें जिससे लोक सेवा केन्द्र संचालकों को व्ही. जी. एफ. की राशि का भुगतान शासन को कम से कम करना पड़े। अधोहस्ताक्षरकर्ता या अन्य अधिकारियो द्वारा समीक्षा या औचक निरीक्षण किये जाने पर संबंधित कार्यालय द्वारा सीधे आवेदक से आवेदन लेना पाया गया तो संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही की जाकर व्ही. जी. एफ. राशि की वसूली संबंधित अधिकारी से की जावेगी, जिसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

(डां. इलैया राजा टी)
कलेक्टर
जिला रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र. 60 / लोसेप्र/2020

रीवा दिनांक 08 / 07/2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन विभाग , मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन संचालक राज्य लोक सेवा अभिकरण म. प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कमिश्नर रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला प्रमुख समस्त जिला रीवा की ओर पालनार्थ।
7. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (समस्त) /तहसीलदार , नायब तहसीलदार तहसील (समस्त) की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद (समस्त) / मुख्य नगर पालिका अधिकारी (समस्त) जिला रीवा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. पदाभिहित अधिकारी लोक सेवा (समस्त) की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. उप संचालक जनसम्पर्क की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
11. संचालक लोक सेवा केन्द्र (समस्त) जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं समस्त आवेदन पत्रों का शतप्रतिशत पंजीयन हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner